रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032026-270954
CG-DL-E-14032026-270954

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2026/फाल्गुन 22, 1947
No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2026/PHALGUNA 22, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

सा.का.नि. 186(अ).— केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (य) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे:

परंतु नियम 3 के उप-नियम (2) (घ) (ii), (iii) और उप-नियम (4) तारीख 1 अप्रैल, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत नियम, 2005 में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"3. **कैप्टिव उत्पादन संयंत्र की अपेक्षाएं**— (1) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,—

क) "कैप्टिव प्रयोक्ता" का तात्पर्य कैप्टिव उत्पादन संयंत्र में उत्पादित विद्युत के अंतिम प्रयोक्ता से है, और इसमें वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह शामिल है जो ऐसे विद्युत का उपभोग या तो सीधे तौर पर करते हैं या ऐसे कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा को संग्रहीत करने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से करते हैं, और "कैप्टिव उपयोग" शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा, -

स्पष्टीकरण - जहां कैप्टिव प्रयोक्ता एक कंपनी है, कैप्टिव प्रयोक्ता में उसकी सहायक कंपनी या सहायक कंपनियां, उसकी होल्डिंग कंपनी, और ऐसी होल्डिंग कंपनी की कोई अन्य सहायक कंपनी या सहायक कंपनियां सम्मिलित समझी जाएंगी, और उन्हें सामूहिक रूप से एकल कैप्टिव प्रयोक्ता माना जाएगा।

ख) "सहायक कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (87) में उसे दिया गया है;

ग) "होल्डिंग कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (46) के अंतर्गत उसे दिया गया है।

घ) "स्वामित्व", से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित उत्पादन स्टेशन या विद्युत संयंत्र के संबंध में, मालिकाना हित और नियंत्रण, या वोटिंग अधिकार वाली इक्विटी शेयर पूंजी से है, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसकी सहायक कंपनी या सहायक कंपनियों, उसकी होल्डिंग कंपनी और ऐसी होल्डिंग कंपनी की किसी अन्य सहायक कंपनी या सहायक कंपनियों के माध्यम से धारित है।

ङ) "विशेष प्रयोजन साधन" से एक विधिक यूनिट अभिप्रेत है जो उत्पादन स्टेशन के स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव के एकमात्र प्रयोजन के लिए स्थापित की गई है और जो कोई अन्य व्यवसाय या क्रियाकलाप नहीं करती है।

स्पष्टीकरण - इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, एक विशेष प्रयोजन साधन को व्यक्तियों का संघ माना जाएगा।

(2) (क) कोई भी विद्युत संयंत्र अधिनियम की धारा 2 के खंड (8) के साथ पठित धारा 9 के अंतर्गत कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में तब तक अर्हता प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि —

(i) स्वामित्व का कम से कम छब्बीस प्रतिशत हिस्सा कैप्टिव प्रयोक्ता(प्रयोक्ताओं) के पास हो; और

(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे संयंत्र में उत्पादित कुल विद्युत का कम से कम इक्यावन प्रतिशत कैप्टिव उपयोग के लिए खपत किया जाता हो।

(ख) ऐसे उत्पादन स्टेशन के मामले में, जो ऐसे उत्पादन स्टेशन के लिए विशेष प्रयोजन साधन के रूप में गठित कंपनी के स्वामित्व में है, ऐसे उत्पादन स्टेशन की एक यूनिट या यूनिट्स, जो कैप्टिव उपयोग के लिए पहचानी गई हैं, न कि संपूर्ण उत्पादन स्टेशन, उपर्युक्त खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) में निहित शर्तों को पूरा करती हैं।

स्पष्टीकरण — इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ:

(1) कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत का निर्धारण कैप्टिव उपयोग के लिए पहचानी गई उत्पादन यूनिट या यूनिट्स के कुल उत्पादन के आधार पर तय किया जाएगा, न कि पूरे उत्पादन स्टेशन के आधार पर; और

(2) उत्पादन स्टेशन में कैप्टिव प्रयोक्ता या प्रयोक्ताओं द्वारा धारित किए जाने वाले इक्विटी शेयर, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में पहचानी गई उत्पादन यूनिट या यूनिट्स के अनुरूप कंपनी की आनुपातिक इक्विटी के छब्बीस प्रतिशत से कम नहीं होंगे।

उदाहरण - 50 मेगावाट की दो यूनिट अर्थात् यूनिट क और ख वाली एक उत्पादन स्टेशन में, 50 मेगावाट की एक यूनिट को कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में पहचाना जा सकता है। कैप्टिव प्रयोक्ताओं के पास कंपनी में कम से कम तेरह प्रतिशत इक्विटी शेयर होंगे (जो 50 मेगावाट की यूनिट क के अनुपात में छब्बीस प्रतिशत होगा) और वित्तीय वर्ष के दौरान तय यूनिट क में उत्पादित विद्युत का कम से कम इक्यावन प्रतिशत कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाएगा।

(ग) किसी पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के मामले में, खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट शर्तों को सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से पूरा किया जाएगा।

(घ) व्यक्तियों के एक संघ द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के मामले में,—

(i) खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट शर्तों को सभी कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से पूरा किया जाएगा, और ऐसे सभी कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा विद्युत संयंत्र से कुल खपत पर उक्त शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए माना जाएगा;

(ii) किसी व्यक्तिगत कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा कैप्टिव खपत, उसके आनुपातिक खपत के केवल सौ प्रतिशत तक ही स्वीकार्य होगी, जिसकी गणना विद्युत संयंत्र में कुल कैप्टिव स्वामित्व में उसके हिस्से के संदर्भ में की जाएगी;

(iii) जहां कोई कैप्टिव प्रयोक्ता विद्युत संयंत्र में कम से कम छब्बीस प्रतिशत स्वामित्व रखता है, वहां खंड (घ) के उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट आनुपातिक खपत से संबंधित शर्त ऐसे कैप्टिव उपयोगकर्ता पर लागू नहीं होगी;

(iv) जहां वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत संयंत्र का स्वामित्व पैटर्न बदलता रहता है, वहां प्रत्येक कैप्टिव प्रयोक्ता की आनुपातिक खपत वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे कैप्टिव प्रयोक्ता की भारित औसत शेयरधारिता के आधार पर निर्धारित की जाएगी;

(v) इस उप-नियम के अंतर्गत आनुपातिक खपत की गणना करने के लिए, एक कैप्टिव प्रयोक्ता, उसकी सहायक कंपनी या सहायक कंपनियां, उसकी होल्डिंग कंपनी और ऐसी होल्डिंग कंपनी की कोई अन्य सहायक कंपनी या सहायक कंपनियों को सामूहिक रूप से एकल कैप्टिव प्रयोक्ता माना जाएगा।

(अनुसूची-3 में उदाहरण देखें)

(3) यह कैप्टिव प्रयोक्ता का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों का वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपालन किया जाए और जहां ऐसी अवधि के दौरान न्यूनतम कैप्टिव खपत की आवश्यकता पूरी नहीं होती है, विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित संपूर्ण विद्युत को एक उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति माना जाएगा और ऐसी खपत पर क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लगाया जाएगा:

परंतु व्यक्तियों के एक संघ द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के मामले में, किसी व्यक्तिगत कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा उसके आनुपातिक खपत के सौ प्रतिशत से अधिक की खपत को उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति माना जाएगा और ऐसी अतिरिक्त खपत पर क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लगाया जाएगा।

(4) (क) किसी विद्युत संयंत्र के कैप्टिव स्थिति का सत्यापन, जहां विद्युत संयंत्र और कैप्टिव प्रयोक्ता एक ही राज्य में स्थित हैं, राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल अभिकरण द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

परंतु जहां कोई कैप्टिव विद्युत संयंत्र और उसके कैप्टिव प्रयोक्ता एक से ज़्यादा राज्यों में हों, वहां सत्यापन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) द्वारा केंद्रीय सरकार की मंज़ूरी से एनएलडीसी द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(ख) उप नियम (4) के खंड (क) के अंतर्गत किए गए सत्यापन के विरुद्ध अपील उपयुक्त सरकार द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति के समक्ष की जा सकेगी।

(ग) किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कैप्टिव स्थिति के सत्यापन लंबित होने पर, नोडल अभिकरण या एनएलडीसी, यथास्थिति, द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुसार कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) द्वारा प्रस्तुत घोषणा के अध्यधीन, क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार नहीं लगाया जाएगा:

परंतु जहां विद्युत संयंत्र ऐसी घोषणा प्रस्तुत करने के बाद वित्तीय वर्ष के लिए कैप्टिव स्थिति के सत्यापन में विफल रहता है, संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्धारित लागू क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार, विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022, समय-समय पर यथासंशोधित, में यथाविनिर्दिष्ट विलंब भुगतान अधिभार के आधार दर पर गणना की गई वहन लागत के साथ देय होगा।

[फा. सं. 23/26/2022-आरएंडआर(पार्ट-I)]

पीयूष सिंह, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 379(अ), तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्याक सा.का.नि. 688(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

अनुसूची - 3

(नियम 3 देखें)

उदाहरण 1: संयंत्र कैप्टिव के रूप में योग्य है - अनुपात खपत सीमा के भीतर

	कैप्टिव प्रयोक्ता			**कुल**
	क	**ख**	**ग**	
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) का % **स्वामित्व** (x)	15	10	5	X=30
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) द्वारा वास्तविक **खपत** (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) (y)	**33**	28	**9**	Y=70
कैप्टिव उपभोग **पात्रता सीमा** (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) = (Y.x/X)	35	**23.33**	11.67	

नोट:

क) क के लिए, वास्तविक खपत (33%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

ख) ख के लिए, केवल 23.33% तक की खपत ही कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

ग) ग के लिए, वास्तविक खपत (9%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

उदाहरण 2: संयंत्र कैप्टिव के रूप में योग्य है - सामूहिक बनाम व्यक्तिगत सीमा

	कैप्टिव प्रयोक्ता			**कुल**
	क	**ख**	**ग**	
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) का % **स्वामित्व** (x)	15	10	5	X =30
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) द्वारा वास्तविक **खपत** (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) (y)	**20**	28	**3**	Y =51
कैप्टिव उपभोग **पात्रता सीमा** (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) = (Y.x/X)	25.5	**17**	8.5	

नोट:

क) क के लिए, वास्तविक खपत (20%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

ख) ख के लिए, केवल 17% तक की खपत कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है। तथापि, संपूर्ण खपत (28%) संयंत्र सत्यापन के लिए मायने रखती है।

ग) ग के लिए, वास्तविक खपत (9%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

उदाहरण 3: संयंत्र कैप्टिव के रूप में योग्य है - व्यक्तिगत स्वामित्व ≥ 26%

	कैप्टिव प्रयोक्ता			कुल
	क	ख	ग	
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) का % **स्वामित्व** (x)	30	15	5	X=50
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) द्वारा वास्तविक **खपत** (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) (y)	**80**	**12**	**5**	Y =97
कैप्टिव उपभोग **पात्रता सीमा** (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) = (Y.x/X)	58.2	29.1	9.7	

टिप्पण:

क) क के लिए, यद्यपि आनुपातिक सीमा 58.2% है, वास्तविक खपत (80%) योग्य है क्योंकि स्वामित्व ≥26% है।

ख) ख के लिए, वास्तविक खपत (12%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

ग) ग के लिए, वास्तविक खपत (5%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

उदाहरण 4: संयंत्र कैप्टिव के रूप में योग्य है - समूह संस्थाओं को एकल व्यक्ति मानकर

	कैप्टिव प्रयोक्ता			कुल
	समूह	ख	ग	
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) का % **स्वामित्व** (x)	22 (क=22; क1 =0; क2 = 0; क3 = 0)	4	6	X =32
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) द्वारा वास्तविक **खपत** (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) (y)	60 (क=0; क1 =30; क2 = 5; क3 = 25)	**6**	**4**	Y =70
कैप्टिव उपभोग **पात्रता सीमा** (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) = (Y.x/X)	**48.12**	8.75	13.12	

टिप्पण:

क) एक ऐसे समूह की कल्पना करें जहां क स्वामित्व रखता है, क1, क की होल्डिंग कंपनी है, क2, क की सहायक कंपनी है और क3, क1 की सहायक कंपनी है। इस मामले में, केवल समूह की सामूहिक खपत (48.12%) योग्य है। अतिरेक कैप्टिव उपभोग के रूप में योग्य नहीं है। समूह संस्थाओं के बीच पात्र सामूहिक कैप्टिव खपत का आवंटन समूह द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जो सामूहिक पात्रता सीमा के अधीन होगा।

ख) ख के लिए, वास्तविक खपत (6%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

ग) ग के लिए, वास्तविक खपत (4%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।